सिविल विविध

माननीय न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर के समक्ष से पहले

जियाना सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

लिसा दास, उप आयुक्त, रोहतक और अन्य, -प्रतिवादी।

1968 की सिविल रिट संख्या 801

8 मार्च 1968

पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम (1952)-नियम ॥ (2)-घोषणा दाखिल करना-क्या अनिवार्य है-दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र-चुनाव-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का आरक्षित सीट के लिए नामांकन घोषणा के अभाव में खारिज कर दिया गया-ऐसे उम्मीदवार-क्या वर्जित किया गया है सामान्य सीट से भी चुनाव से.

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम (1952) के नियम 11 के उप-नियम (2) की आवश्यकता यह अनिवार्य है कि घोषणा उस उम्मीदवार के नामांकन पत्र के साथ होनी चाहिए जो दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति खुद को अनुसूचित जाति का उम्मीदवार बताता है और वास्तव में आरक्षित सीट के लिए खड़ा नहीं होता है, तो नियमों में कोई आवश्यकता नहीं है कि नियम 11 के उप-नियम (2) में उल्लिखित घोषणा अभी भी दाखिल की जानी है। उसे अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के लिए दोहरे सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बेशक, एक सीट आरक्षित है लेकिन दूसरी सीट अनुसूचित जाति के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरी जा सकती है। इस प्रकार यदि कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, तो घोषणा के अभाव में आरक्षित सीट के लिए उसके नामांकन पत्र की अस्वीकृति को केवल उसी हद तक खारिज माना जाएगा, जहां तक आरक्षित सीट के लिए उसकी उम्मीदवारी का संबंध है, सामान्य सीट के लिए उनके नामांकन पर किसी भी वैध आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है और वह खुद को दोहरे सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य सीट से चुनाव से नहीं रोकते हैं।

[पैरा 3]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के 13 फरवरी के आदेश को रद्द करते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। क्रमशः 1968 और 5 फरवरी, 1968।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील पी सी जैन और वी एम जैन।

डी. एन. प्रतिवादियों की ओर से रामपाल, सहायक महाधिवक्ता, और पी एस जैन, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत जियाना सिंह की यह याचिका उपायुक्त, रोहतक (अनुलग्नक "बी") के आदेश को चुनौती देती है, जो इसके बाद पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम, 1952 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी हैं। "नियम" कहे जाने वाले रिटर्निंग अधिकारी के उनके नामांकन पत्रों को खारिज करने के आदेश की पुष्टि की गई।

(2) जियाना की याचिका में विवादित तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, साथ ही उत्तरदाताओं 3 से 6 ने नगरपालिका समिति, गोहाना के वार्ड नंबर 4 में आरक्षित सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जो एक डबल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तरदाताओं 7 से 12 ने सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच पर रिटर्निंग ऑफिसर का मानना था कि याचिकाकर्ता ने घोषणा पत्र दाखिल नहीं किया है जो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के मामले में आवश्यक है, इसलिए उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा 13 फरवरी, 1968 को दायर एक पुनरीक्षण याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 5 फरवरी, 1968 को पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। चुनाव 10 मार्च, 1968 के लिए तय किया गया था, मोशन बेंच ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए एक निर्देश दिया इसकी सुनवाई 7 मार्च, 1968 को होनी चाहिए। विवाद वाले मामलों से संबंधित प्रासंगिक नियम 7, 11 और 12 हैं और जिन नियमों से हम चिंतित हैं, उनके उद्धरण नीचे दिए गए हैं: -

> कोई भी व्यक्ति नगरपालिका समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, जो-
>
> 11. (1) नियम 7 के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति समिति की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं है, चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवारों के नामांकन के लिए निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले वह व्यक्तिगत रूप से नामांकन करेगा
>
> या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा या लिखित रूप में प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और, जब तक कि ऐसा एजेंट एक कानूनी व्यवसायी नहीं है, एक मजिस्ट्रेट, पंजीकरण विभाग के उप-रजिस्ट्रार, जैलदार, लंबरदार या सदस्य द्वारा सत्यापित एक स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे मुख्यालय में प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट प्राधिकारी को, इन नियमों से जुड़े फॉर्म I में पूरा किया गया एक नामांकन पत्र सौंपेगा और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाएगा।
>
> (2) किसी निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, किसी भी उम्मीदवार को उस सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका नामांकन पत्र उप-में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित घोषणा के साथ न हो। नियम 11) कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसके लिए सीट

आरक्षित की गई है और घोषणा उस विशेष जाति को निर्दिष्ट करती है जिसका उम्मीदवार सदस्य है।

12. (1) नियम 11 के प्रावधानों के तहत नामांकित प्रत्येक उम्मीदवार को उपायुक्त या अन्य अधिकारी, जिसे नामांकन पत्र दिया गया है, के पास एक सौ रुपये की राशि जमा करनी होगी या जमा करानी होगी। यदि वह प्रथम श्रेणी की नगर पालिका में चुनाव के लिए उम्मीदवार है या यदि वह द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका में चुनाव के लिए उम्मीदवार है तो पचास रुपये का जुर्माना बशर्ते कि जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसके द्वारा या उसकी ओर से जमा की जाने वाली राशि पचास रुपये या पच्चीस रुपये होगी, क्योंकि वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी नगर पालिका में चुनाव के लिए उम्मीदवार है।

(3) अब, नियम 11(1) के तहत नामांकन पत्र से संबंधित फॉर्म I में उम्मीदवार को यह बताना होगा कि "जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य है, वह विशेष जाति जिससे उम्मीदवार संबंधित है"। यह एकमात्र जोड़ है जिसे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य को स्वयं नामांकन पत्र में जोड़ना होता है। ऐसे उम्मीदवार द्वारा घोषणा के लिए एक अलग फॉर्म निर्धारित किया गया है जो किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य है और इसे मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नियम 11 के उप-नियम (2) के तहत ऐसी घोषणा नामांकन पत्र के साथ करनी होती है, जहां कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का उम्मीदवार हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई घोषणा दाखिल नहीं की गई थी और वार्ड नंबर 4 में आरक्षित सीट पर नगरपालिका समिति के चुनाव के लिए उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से श्री पीसी जैन ने उस आधार को गंभीरता से चुनौती नहीं दी है जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। मुझे यह स्पष्ट लगता है कि नियम एच के उप-नियम (2) की आवश्यकता यह अनिवार्य थी कि घोषणा उस याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र के साथ होनी चाहिए जो दोहरे सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता था। हालाँकि, श्री पीसी जैन ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को किसी भी स्थिति में सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, जिसके लिए ऐसी किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता ने निस्संदेह खुद को अनुसूचित जाति का सदस्य बताया और तदनुसार रुपये का शुल्क भी अदा किया। 25, गोहाना दोयम दर्जे की नगर पालिका है। यदि वह अनुसूचित जाति के अलावा अन्य अभ्यर्थी होता तो शुल्क पचास रुपये होता। यदि कोई व्यक्ति खुद को अनुसूचित जाति का उम्मीदवार बताता है और वास्तव में आरक्षित सीट के लिए खड़ा नहीं होता है, तो नियमों में कोई आवश्यकता नहीं है कि नियम 11 के उप-नियम (2) में उल्लिखित घोषणा अभी भी उसके द्वारा दाखिल की जानी है और न ही है। किसी व्यक्ति के लिए रुपये की रियायती जमा राशि जमा करने के लिए खुद को अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट के सत्यापित बयान से यह दिखाना होगा कि वह अनुसूचित

जाति का है, यदि वास्तव में, वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। यह मुद्दा याचिकाकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर या रिवाइजिंग अथॉरिटी के समक्ष नहीं उठाया गया था और यह पहली बार है कि इस रिट याचिका में यह सवाल उठाया गया है। जिस प्राधिकार पर दोनों पक्षों के वकील ने भरोसा जताया वह फतेह सिंह बनाम श्री केसी गरोवर, अतिरिक्त जिला) मजिस्ट्रेट, आदि में माननीय मुख्य न्यायाधीश, फाल्शॉ और माननीय न्यायाधीश ग्रोवर, का निर्णय है। यह मानते हुए कि नामांकन फॉर्म, जो घोषणा के साथ नहीं है, अमान्य हो जाता है, । जिसके समक्ष श्री पीसी जैन द्वारा दबाया गया दूसरा मुद्दा उठाया गया था, इस पर निर्णय नहीं लिया क्योंकि इसका उल्लेख आधार में नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि इस पर पहली बार हरबंस सिंह, जे. के समक्ष बहस की गई थी, जिन्होंने इसे निर्णय के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा था। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश फाल्शॉ ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए बताया-

> "मेरी राय में इनमें से पहले बिंदु को कभी भी उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि याचिका पर विचार नहीं किया गया था या तो संवीक्षा अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष और इसे रिट याचिकाओं में भी नहीं उठाया गया था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को बहस के दौरान ही यह बात सूझी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें वीवी गिरि बनाम डी. सूरी डोरा और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पता चल गया था। एक ऐसा मामला जहां दो उम्मीदवार जिन्हें एक अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित सीट के लिए दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था, मतदान में पहले और दूसरे स्थान पर आए, और यह माना गया कि उनमें से एक पात्र था। सीट अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित थी और दूसरा सामान्य सीट का हकदार था।"

माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के लिए दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य सीट से चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। बेशक, एक सीट आरक्षित है लेकिन दूसरी सीट अनुसूचित जाति के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरी जा सकती है। कानून के इस प्रस्ताव पर श्री पीतम सिंह जैन आपत्ति नहीं कर सकते और वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हालाँकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि रुपये की जमा राशि। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसका इरादा केवल आरक्षित सीट के लिए खड़ा होना था। यह बताया गया है कि रिट याचिका में भी पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते आरक्षित सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि उत्तरदाताओं 7 से 12 ने सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। क्या याचिकाकर्ता के इस कथन से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने वार्ड नंबर 4 के दोहरे सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य सीट से नगरपालिका समिति के चुनाव से खुद को रोक लिया है। मुझे नहीं लगता कि 'इस' प्रश्न का उत्तर है उत्तरदाताओं के वकील द्वारा परिणाम के पक्ष में दलील दी गई। यदि याचिकाकर्ता सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र था, तो उसका नामांकन पत्र, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है, केवल आरक्षित सीट के लिए उसकी उम्मीदवारी के संबंध में खारिज कर दिया गया माना जाना चाहिए। नामांकन पत्र की सामान्य सीट के लिए याचिकाकर्ता पर किसी भी वैध आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है और इस रिट याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है, मैं निर्णय लेने के लिए बाध्य हूं।

मेरे विचार में, उनके द्वारा उठाए गए विवाद में दम है और मैं तदनुसार इस याचिका को केवल उस सीमा तक अनुमति दूंगा, जहां तक याचिकाकर्ता का नामांकन वार्ड नंबर 4 से सामान्य सीट के चुनाव तक वैध माना जाएगा। गोहाना विधानसभा क्षेत्र का सवाल है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक आरक्षित सीट का सवाल है, याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र की अस्वीकृति पूरी तरह से वैध थी और उसके विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान इसे गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है। चूँकि इस याचिका में विभाजित सफलता मिली है, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दूँगा।

(4) चूंकि चुनाव 10 तारीख को होना है, इसलिए एक टेलीग्राफिक सूचना उपायुक्त, रोहतक और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेजी जा सकती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा